कंसोर्शिया एण्ड टेंडर मार्केटिंग स्कीम

सूक्ष्म, और लघु उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देना ही इस निगम का एक प्रमुख उद्देश्य है। आज के प्रतियोगी परिदृश्य में सूक्ष्म, और लघु उद्यमों को सुविधा देने की आवश्यकता महसूस की गई है। ताकि अलग-अलग या 'कंसोर्शिया' के माध्यम से सामूहिक रूप से उनके माल और सेवाओं का विपणन किया जा सके। तदनुसार एमएसई के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को वर्ष 2011 में समीक्षा की गई और इसका नाम **"कंसोर्शिया और टेंडर मार्केटिंग स्कीम"** रखा गया।

1. इस स्कीम की विशिष्ट विशेषताएं:-

(i) इस स्कीम के अंतर्गत एकल बिन्दू पंजीकरण स्कीम (एसपीआरएस) के अधीन एनएसआईसी के पास पंजीकृत सूक्ष्म, और लघु उद्यम आंएगे, इसके अंतर्गत वे सूक्ष्म और लघु उद्यम भी आएंगे, जिन्होंने एसपीआरएस योजना की शर्तों के अनुसार सभी अपेक्षित दस्तावेजों सहित इसके अधीन एनएसआईसी के पास स्वयं को पंजीकृत करने के लिए आवेदन पत्र दिया हो और टेंडर मार्केटिंग स्कीम के अनुसार टेंडर भरने से पहले उनके कारखाने का निरीक्षण किया गया हो।

इस स्कीम के अंतर्गत वह (वे) यूनिट नहीं आएंगी (आएंगे), जो मूल्य संवर्धन/पैकिंग/ब्रांडिग के बिना **'व्यापार संबंधी क्रियाकलापों'** में लगी हो/हों।

(ii) इस स्कीम के अंतर्गत नामांकन के आधार पर, खुले टेंडर और एकल टेंडर में भाग लेने के लिए यूनिटों के चयन की विधि भी आएगी।

(iii) इस स्कीम के अधीन बयाना राशि (ई-एमडी) और प्रतिभूति जमा को बैक-टु-बैक आधार पर प्रदान करने पर ध्यान दिया जाएगा।

(iv) इस स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ कंसोर्शिया के गठन की प्रक्रिया, एक समान उत्पादों का विनिर्माण करने वाली यूनिटों के कंसोर्शिया का गठन करके एमएसई का क्षमता निर्माण, 'थोक' मात्रा में आर्डर प्राप्त करने के लिए 'कंसोर्शिया' में यूनिटों की ओर से भाग लेना, यूनिटों की क्षमता के अनुसार 'कंसोर्शिया' में शामिल यूनिटों में आपूर्ति आदेश वितरित करना, 'कंसोर्शिया' के सदस्यों की कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा

करने के लिए उन्हें सहायता देना और की गई आपूर्ति के संबंध में 'क्रेडिट' की सुविधा प्रदान करना भी शामिल है।

(v) इस स्कीम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए यूनिटों द्वारा अलग-अलग करार, कंसोर्शिया द्वारा निष्पादित की जाने वाली करार, बोर्ड का संकल्प, मुख्तारनामा और अन्य संबंधित दस्तावेज जैसे कानूनी दस्तावेजों को संशोधित और सरलीकृत किया गया है।

(vi) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रोन्नयन और विकास के लिए भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा राजपत्रित अधिसूचना संख्या का.आ. 581 (ई), दिनांक 23 मार्च, 2012 के जरिए एमएसएमई के लिए लोक खरीद आदेश, 2012 परिचालित किया गया है। उपर्युक्त लोक खरीद आदेश में भारत सरकार ने इस बात का उल्लेख किया है कि खरीद के वार्षिक लक्ष्य में बड़े उद्यमों और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा गठित सूक्ष्म, और लघु उद्यमों के 'कंसोर्शिया' द्वारा सूक्ष्म, और लघु उद्यमों को उप संविदा देना भी शामिल है।

(vii) एनएसआईसी ने अपनी कंसोर्शिया और टेंडर मार्किटिंग स्कीम के अधीन सूक्ष्म, और लघु उद्यमों के कंसोर्टिया का गठन किया है और सरकारी विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें अपेक्षित सामान/मद की आपूर्ति करता है और उन्हें सेवा प्रदान करता है। एनएसआईसी का कार्यालय कंसोर्शिया को लगातार निगरानी करता है और आवश्यकता अनुसार नये कंसोर्शिया का गठन करता है।

2. आवेदन पत्र फार्म:

टेंडर मार्केटिंग स्कीम के अधीन सूचीबद्ध होने के लिए आवेदक सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) द्वारा निर्धारित फार्मेट **(अनुलग्नक-क और क-1)** में आवेदन पत्र फार्म प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अर्थात फर्म/कंपनी/सोसाइटी के स्वामी/भागीदार(भागीदारों)/निदेशक (निदेशकों) द्वारा विधिवत् हस्ताक्षर किए जाएंगे और आवेदन-पत्र फार्म में उल्लिखित दस्तावेज लगाए जाएंगे। ये दस्तावेज उस टेंडर और/या फार्म/कंसोर्शिया में शामिल होने के फार्म के साथ भी लगाए जाएंगे जहां सूचीबद्ध यूनिट भाग लेना चाहता हो।

3. टेंडर में भाग लेने की सीमा का निर्धारण:

3(क) ऐसी सूचीबद्ध यूनिटों के मामले में जो एनएसआईसी के माध्यम से टेंडर में भाग लेना चाहती हों, शाखा कार्यालय यह सीमा निर्धारित करेगा, जिसमें टेंडरदाता एक समय में ऐसी यूनिट की ओर से भाग ले सकता है/ले सकते हैं। यह सीमा निम्नलिखित मे से जो सबसे अधिक होगी:

3(क) i एकल बिन्दू पंजीकरण स्कीम के अधीन यूनिट के लिए निर्धारित मौद्रिक सीमा का 300 प्रतिशत, या

3(क) ii पिछले वर्ष का कुल कारोबार (पिछले वर्ष का कुल कारोबार वित्त वर्ष का कुल कारोबार होना चाहिए और वह पिछले लेखापरीक्षित लेखे के अनुसार या वित्त वर्ष के अंतिम परिणामों के अनुसार होना चाहिए, जिसे (CA) सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया हो।

3(क) iii यदि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान यूनिट ने अपने कुल कारोबार में सराहनीय प्रगति की है। (जिसे सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया हो), जिससे यह पिछले वर्ष के कुल कारोबार से अधिक हो या उपर्युक्त (i) में उल्लिखित सीमा से अधिक हो, तो ऐसी यूनिट को लाभ दिया जाएगा और उनकी समग्र सीमा उपर्युक्त (i) (ii) या चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल कारोबार के मूल्य में से जो अधिक हो उस उच्च मूल्य पर निर्धारित किया जा सकता है।

3(ख) समग्र सीमा निर्धारित करते समय यूनिट की प्रचालन और संस्थापित क्षमता पर भी विचार किया जाए।

3(ग) सीमा का निर्धारण एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें शाखा प्रमुख, लेखा प्रमुख और व्यापार विकास प्रमुख होंगे।

3(घ) इस प्रकार निर्धारित सीमा एक वर्ष तक विधिमान्य होगी और वार्षिक रूप से इसकी समीक्षा/नवीकरण किया जाएगा।

3(ड.) कंसोर्शिया के रूप में कार्य करते हुए यूनिट की समग्र सीमा निर्धारित करते समय, उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार अलग-अलग यूनिट के संबंध में निर्धारित की जाने वाली सीमा को मिला दिया जाएगा। इस प्रकार एक कंसोर्शिया के लिए निर्धारित की जाने वाली सीमा एक वर्ष तक विधिमान्य रहेगी और वार्षिक रूप से उसकी समीक्षा/नवीकरण किया जाएगा।

3(च) यदि कंसोर्शिया का विस्तार किया जाता है (यूनिट/यूनिटों को जोड़कर) और/या घटाया जाता है (यूनिट/यूनिटों को हटाकर), तो:

3(छ) कंसोर्शिया का विस्तार किए जाने पर, उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार उनकी सीमा निर्धारित करते हुए जोड़ी गई यूनिट/यूनिटों के संबंध में सीमा का हिसाब लगाने के बाद, समग्र सीमा बढ़ाई जाएगी।

3(ज) कंसोर्शिया से यूनिट/यूनिटों को हटाने पर, ऐसी यूनिटों के संबंध में निर्धारित सीमा के बराबर समग्र सीमा को घटा दिया जाएगा।

3(झ) लेकिन यूनिट की सीमा, पहले ही निष्पादित आदेश की सीमा तक खाली समझी जाएगी (उदाहरणार्थ यदि किसी यूनिट की सीमा 15 करोड़ रूपये है और उसके पास 10 करोड़ रूपये के कार्यनिष्पादन का आदेश उपलब्ध है, जिसमें 3 करोड़ रूपये मूल्य के ओदश का वह पहले ही निष्पादन कर चुका है, तो इस समय टेंडर में भाग लेने के लिए उसके पास 8 करोड़ रूपये की सीमा शेष है)।

इस स्कीम के अधीन सूचीबद्ध करने के लिए उपर्युक्त पाई गई यूनिटों के संबंध में उपर्युक्त प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, शाखा द्वारा सूचीकरण पत्र जारी किया जाएगा।

I. कंसोर्शिया और टेंडर मार्केटिंग स्कीम के अधीन सूचीकरण और नवीकरण वार्षिक शुल्क का ढांचा

क्र.सं.	श्रेणी	वार्षिक/नवीकरण शुल्क
1.	यदि एसपीआरएस के अधीन मौद्रिक सीमा 100 लाख रूपये तक है	1000 रू. +सेवा कर
2.	यदि एसपीआरएस के अधीन मौद्रिक सीमा 100 लाख रूपये से अधिक और 500 लाख रूपये तक है।	2500 रू. +सेवा कर
3.	यदि एसपीआरएस के अधीन मौद्रिक सीमा 500 लाख रूपये से अधिक है।	5000 रू. +सेवा कर
4.	अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाली यूनिटों को सूचीकरण शुल्क से छूट प्राप्त है।	
5.	नये कंसोर्शिया के गठन/नवीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है। लेकिन कंसोर्शिया के सदस्यों द्वारा टेंडर प्रक्रिया में भाग लेते समय उपर्युक्त सूचीकरण शुल्क लागू होगा।	

II. कंसोर्शिया और टेंडर मार्केटिंग स्कीम के अधीन सेवा प्रभार (ऑनलाइन/ऑफलाइन/खुला टेंडर/सीमित पूछताछ/नामाकंन आधारित/पुन: दिए गए आदेश आदि

उपर्युक्त टेंडरों के विभिन्न प्रकारों के सेवा प्रभार, श्रेणी की बजाय टेंडर के मूल्य के आधार पर प्रस्तावित हैं:

जीएसटी के पहले बिल मूल्य के आधार पर सेवा प्रभार (प्रतिशत)	
अलग-अलग यूनिट	कंसोर्टिया
2.5	2

सूक्ष्म यूनिट के मामले में हम उपर्युक्त प्रभारों पर 0.5 प्रतिशत तक सेवा प्रभार घटा सकते हैं।

यदि ईएमडी और/या प्रतिभूति जमा की व्यवस्था एनएसआईसी द्वारा की जाती है, तो 1 प्रतिशत अतिरिक्त सेवा प्रभार लगाया जाएगा। उपर्युक्त सेवा प्रभार में जीएसटी शामिल नहीं होगा। क्रय विभाग से भुगतान प्राप्ति से सेवा प्रभार में जीएसटी शामिल नहीं होगा। क्रय विभाग से भुगतान प्राप्ति से सेवा प्रभार घटाए जाएंगे और सेवा प्रभार घटाने के बाद शेष रकम एमएसई/कंसोर्शिया को अदा की जाएगी।

टिप्पणी:

यदि एनएआईसी को क्रेता विभाग या अन्य एजेंसी के साथ प्रेषण पूर्ण निरीक्षण टीम में भाग लेना पड़ा, तो अलग-अलग मामले के आधार सेवा प्रभार की उच्च दर लगाई जा सकती है।

कंसोर्शिया करार की विधिमान्यता

निगम और कंसोर्शिया के बीच निष्पादित कंसोर्शिया करार तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक उसे सभी सदस्यों द्वारा समाप्त न कर दिया जाए और संबंधित शाखा को इस आशय की सूचना दी जाए कि वे (कंसोर्शिया) कंसोर्शिया के सदस्य बने रहने के इच्छुक नहीं है। लेकिन, यदि नए सदस्य/सदस्यों को शामिल किया जाता है या सदस्य कंसोर्शिया को छोड़ता है/छोड़ते हैं, जिससे कंसोर्शिया के गठन में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो नया करार प्राप्त किया जा सकता है। कंसोर्शिया के गठन में परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अथवा सदस्यों को शामिल करने/हटाने को सुनिश्चित करने के लिए इस आशय की घोषणा कंसोर्शिया के सदस्यों से ली जाएगी कि उनका कंसोर्शिया अभी विद्यमान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है।

अनुलग्नक-क

दिनांक.....

वरिष्ठ शाखा प्रबंधक,
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.,
शाखा कार्यालय.....

विषय: कंसोर्शिया और टेंडर मार्किटिंग स्कीम के अधीन सूचीकरण के लिए आवेदन पत्र।

प्रिय महोदय,

मैं/हम.....के विनिर्माण/की सेवा प्रदान करने के कार्य में लगा हूं/लगे हैं। मैं/हम आप से अनुरोध करता हूं/करते हैं कि मेरी/हमारी और से सरकारी/प्राइवेट टेंडरों में भाग लेने के लिए हमारी यूनिट को सूची में शामिल करने की कृपा करें। मैंने/हमने इस स्कीम के विषय वस्तु को पढ़ लिया है और मैं/हम इस स्कीम की विद्यमान शर्तों या समय-समय पर लागू शर्तों का पालन करूंगा/करेंगे। मैं/हम आपके द्वारा जांच करने और विचार करने के लिए टेंडर मार्किटिंग स्कीम के अधीन सूचीकरण के लिए आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूं/कर रहे हैं:

1. प्रत्येक स्वामी/भागीदार/निदेशक/सोसाइटी के पदाधिकारी का पासपोर्ट आकार का फोटो और निवास स्थान का सबूत।
2. जी.पी. पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-साक्ष्यांकित प्रतिलिपि।
3. मुख्तारनामा **(अनुलग्नक- ख)** बोर्ड का संकल्प **(अनुलग्नक - ग)** सोसाइटी का संकल्प **(अनुलग्नक - ज),** जिसमें सूचीकरण/टेंडर में भाग लेने और कंसोर्शिया के गठन के लिए एनएसआईसी से संव्यवहार करने के लिए भागीदार/निदेशक/कार्यपालक को प्राधिकृत किया गया हो।
4. प्राधिकृत व्यक्ति के बैंक द्वारा साक्ष्यांकित नमूना हस्ताक्षर।
5. हाल के आपूर्ति आदेशों की प्रतिलिपियां।
6. सूचीकरण शुल्क

आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे आवेदन को स्वीकार करने का कष्ट करें ताकि आप हमारी ओर से निविदाओं में भाग लेने एवं निष्पादित करने हेतु सहायक ईकाई के रूप में सूचीबद्ध कर सके।

धन्यवाद,

भवदीय,

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(पूरा नाम और पदनाम)

अनुलग्नक-1

1. आवेदक यूनिट के ब्यौरे

नाम	गठन	स्थापना वर्ष	पता एवं फोन नं. एवं ई-मेल	
			कारखाना	**पंजीकृत कार्यालय**
			फोन:	फोन:

2. उद्यम आधार संख्या.....

3. जीएसटी संख्या.....

4. बैकर के विवरण

बैंक का नाम	पता	टेलीफोन नं.	खाता संख्या

5. क्या यूनिट पिछड़े क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र/अन्य में स्थित है

.....

6. क्या यूनिट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला उद्यमी/विकलांग/भू.पू. सैनिक/तकनीकी विद के स्वामित्व की है। **(सही का निशान (✓) लगाएं):**

7. स्वामी/भागीदारी/निदेशक/कार्यपालक के ब्यौरे:

नाम	पिता/पति का नाम	पता	योग्यता	कारोबार का अनुभव (वर्ष)	टेलीफोन एवं मोबाइल	ई-मेल पता	निवल मूल्य (रूपये लाखों में)

8. सहायक कंपनी का नाम एवं पता:

प्रतिष्ठान का नाम और पता	संयुक्त स्वामी/भागीदार/निदेशक का नाम

9. क्रियाकलाप का क्षेत्र:

परियोजना के प्रकार	विनिर्माण किए जा रहे उत्पादों का नाम

10. i) क्या आपने पहले भी एनएसआईसी को आवेदन पत्र दिया था : हां/नहीं

ii) पहले स्वीकृत सहायता के विवरण:

स्कीम का नाम	सहायता की रकम (रूपये)	स्वीकृति पत्र की संदर्भ संख्या और तारीख	पुन: भुगतान की स्थिति	चूक/अतिदेय की रकम यदि कोई हो।

11. विनिर्माण क्षमता:

मशीन का नाम	संस्थापित क्षमता	प्रचालन क्षमता	वर्तमान में कार्य की मात्रा

12. कोई अन्य सूचना

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
(कार्यालय की मुहर सहित)

क-2

(यदि एनएसआईसी से वित्तीय सहायता अपेक्षित है, तो निम्नलिखित विवरण दिए जाएं)

1. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से पहले ही प्राप्त अथवा प्राप्त होने की वित्तीय सहायता के ब्यौरे:

वित्तीय संस्था/बैंक (का नाम पता और टेलीफोन सहित)	सहायता की रकम (रूपये)	स्वीकृति पत्र की संदर्भ संख्या और तारीख	बैंक खाते की संख्या	पुन: भुगतान की स्थिति	चूक/अतिदेय की रकम यदि कोई हो।

2. प्रस्तावित प्रतिभूति का विवरण:

क) बैंक गारंटी के मामले में:

क्र.सं.	प्रतिभूति का प्रकार	मूल्य (रूपये)	जारीकर्ता बैंक का नाम, पता और टेलीफोन नं.

ख) व्यक्तिगत गारंटी के विवरण:

गारंटी देने वाले का नाम और पता	निवल मूल्य/साधन (रूपये)

3. कोई अन्य सूचना

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
(कार्यालय की मुहर सहित)

अनुलग्नक- ख

(स्थानीय अधिनियम के अनुसार स्टांप पेपर पर)

(फर्म की ओर से निविदा में भाग लेने के लिए भागीदारों द्वारा सूचीबद्ध करने के लिए मुख्तारनामा/पॉवर ऑफ अर्टोनी दिया जाएगा)।

हम,

1.....पुत्र श्री.....निवासी.....
2.....पुत्र श्री.....निवासी.....
3.....पुत्र श्री.....निवासी.....
.....के भागीदार एतदद्वारा श्री पुत्र श्री.....निवासी.....को, जो इस फर्म के भागीदार है, एकमात्र और विधिमान्य मुख्तार के रूप में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय.....में आवेदन पत्र देने के लिए नियुक्त करते हैं। वे फर्म के नाम में अलग-अलग या कंसोर्शिया के सदस्य की ओर से और के नाम में टेंडर (टेंडरों) में भाग लेने के लिए सूचीबद्ध करने के लिए नियुक्ति करते हैं। हम उन्हें कंसोर्शिया और टेंडर मार्किटिंग स्कीम के अधीन और उस प्रयोजन के लिए श्री..... पुत्र श्री.....को जो इस फर्म के भागीदार हैं, करार निष्पादित करने, दस्तावेज/लिखित/प्रतिभूति/गारंटी प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत करते हैं और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा यथा अपेक्षित उक्त उद्देश्य के लिए आगे जो कुछ भी करना हो, करने/फर्म की ओर से खरीददार के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं। श्री..... को कंसोर्शिया के लीडर के रूप में भी प्राधिकृत किया जाता है या उन्हें किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति या कंसोर्शिया के सदस्य को लीडर के रूप में नामित करने के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है, ताकि कंसोर्शिया के माध्यम से भाग लेने के सभी प्रयोजनों और टेंडर (टेंडरों)/आदेश (आदेशों) को निष्पादित करने के संबंध में फर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है।

हम फर्म की ओर से उक्त मुख्तार द्वारा किए गए ऐसे कृत्यों, आवेदन-पत्रों, दस्तावेजों, विलेखों और हस्ताक्षरित पत्राचार और ऐसी सभी दस्तावेजों करारों तथा पत्राचार आदि जो उक्त फर्म के भागीदार/भागीदारों के रूप में हम पर आवद्धकर हो के लिए सहमत हैं।

पहला भागीदार (हस्ताक्षर)	दूसरा भागीदार (हस्ताक्षर)	तीसरा भागीदार (हस्ताक्षर)

स्वीकृत

मुख्तारनाम
(हस्ताक्षर)

गवाह:1 2.

तारीख:
स्थान:

अनुलग्नक- ग

संदर्भ: **तारीख:-**

(यूनिट के पत्र शीर्ष जिस पर कंपनी की सामान्य सील लगी हो)

(कंपनी द्वारा आवेदन-पत्र दिए जाने के मामले में निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव का नमूना)

..... में दिनांक.....को आयोजित बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव का उद्धरण

प्रस्ताव पारित किया जाता है कि यह कंपनी, एनएसआईसी,..... (पता) को अलग रूप में या कंसोर्शिया के सदस्य के रूप में एनएसआईसी की कंसोर्शिया और टेंडर मोर्किटिंग स्कीम और इस प्रयोजन के लिए कंपनी की ओर से और कंपनी के नाम में टेंडर (टेंडरों) में भाग लेने के लिए सूचीकरण करने हेतु एतदद्वारा कंपनी के निदेशक श्री.....पुत्र श्री.....को करार निष्पादित करने/दस्तावेज/लिखत/प्रतिभूति/गारंटी प्रस्तुत करने के लिए और उक्त प्रयोजन के लिए एनएसआईसी/क्रेता द्वारा कंसोर्शिया और टेंडर मार्किटिंग स्कीम और इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

श्री..... को यह भी प्राधिकृत किया जाता है कि वह कंसोर्शिया के नेता हैं और कंसोर्शिया का प्रतिनिधित्व करेंगे या कंसोर्शिया के अन्य सदस्यों में से किसी सदस्य को सभी प्रयोजनों के लिए कंसोर्टिया के माध्यम से टेंडर (टेंडरों)/आदेश (आदेशों) में भाग लेने और उनका निष्पादन करने के लिए कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत करेंगे।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(कंपनी की सामान्य सील सहित)

अनुलग्नक- ज

(यूनिट के पत्र शीर्ष पर)

(सोसाइटी के कार्यपालक सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव का नमूना)

सोसाइटी के कार्यपालक सदस्यों की.....में दिनांक.....को आयोजित बैठक में पारित प्रस्ताव का उद्धरण

प्रस्ताव पारित किया जाता है कि यह सोसाइटी, एनएसआईसी,..... (पता) को अलग रूप में या कंसोर्शिया के सदस्य के रूप में एनएसआईसी की कंसोर्शिया और टेंडर मार्किटिंग स्कीम और इस प्रयोजन के लिए सोसाइटी की ओर से और सोसाइटी के नाम में टेंडर (टेंडरों) में भाग लेने के लिए सूचीकरण करने हेतु एतदद्वारा सोसाइटी के कार्यपालक श्री.....पुत्र श्री.....को करार निष्पादित करने/दस्तावेज/लिखत/प्रतिभूति/गारंटी प्रस्तुत करने के लिए और उक्त प्रयोजन के लिए एनएसआईसी/क्रेता द्वारा कंसोर्टिया और टेंडर मार्किटिंग स्कीम और इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया जाता है। श्री..... को यह भी प्राधिकृत किया जाता है कि वह सोसाइटी के नेता हैं और कंसोर्शिया का प्रतिनिधित्व करेंगे या सोसाइटी के अन्य सदस्यों में से किसी सदस्य को सभी प्रयोजनों के लिए कंसोर्शिया के माध्यम से टेंडर (टेंडरों)/आदेश (आदेशों) में भाग लेने और उनका निष्पादन करने के लिए सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत करेंगे।

(सभी कार्यपालक सदस्यों के हस्ताक्षर)